



भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका रुबी रानी

विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार)

Article Info

Volume 5, Issue 2

Page Number : 45-50

Publication Issue :

March-April-2022

Article History

Accepted : 10 March 2022

Published : 30 March 2022

मुख्य भाव : महिलाएँ ईश्वर की बनाई सबसे महत्वपूर्ण और कलात्मक रचना हैं। विभिन्न देशों में महिलाओं का इतिहास, परिस्थितियाँ, स्मृतियाँ और अनुभव अलग-अलग रहे हैं। विश्व स्तर पर हम महिलाओं को विभिन्न सिद्धांत जैसे उदारवादी, आमूलचूल परिवर्तनवादी या रेडिकल, मार्क्सवादी, समाजवादी, उत्तर-आधुनिकवादी, सांस्कृतिक, ब्लैक नारीवाद, इकोफेमिनिज्म इत्यादि रूपों एवं प्रकारों में पाते हैं। तो कहीं नारीवाद की तीन तरंगों में भी इसका विभाजन किया गया है। परंतु इस अध्याय में हम भारत के संदर्भ में इसे दो भागों में विभाजित करके भारत में महिलाओं का योगदान और भारत के इतिहास में विभिन्न महिलाओं के जीवन औचित्य और उनकी प्रासंगिकता को समझने का प्रयास करेंगे।

भारत में महिला आंदोलन, महिलाओं की स्थिति, उनकी संघर्ष यात्रा और अनेक प्रयासों का चित्रण स्वरूप है। लंबे समय से चले महिला आंदोलन को समझने के लिए उसे भारत की ही परिस्थितियों और संदर्भों में व्याख्यायित किया जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति में नारी का दर्जा बहुत ऊंचा है। परंतु जैसे-जैसे हम वैदिक काल से मध्य और आधुनिक काल की तरफ जाते हैं। वैसे-वैसे हम भारत में निम्न होती महिलाओं की स्थिति को देखते हैं। हमारे भारतीय समाज में महिलाओं की ऐसी स्थिति के लिए सामाजिक प्रतिमान एवं सांस्कृतिक आदर्शों की

जटिल संरचना उत्तरदायी रही है। 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही महिलाओं की परिस्थितियों और समस्याओं ने समाज-सुधारकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया। पितृसत्तात्मक समाज, धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के कारण महिलाओं के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होता रहा। ऐसी स्थिति में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अन्याय के विरोध में आवाज उठाने के लिए कुछ पुरुष समाज सुधारवादी सामने आए और उन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधारने का बीड़ा उठाया। भारत में महिलाओं के आंदोलन को हम दो दृष्टिकोणों से व्याख्यायित कर सकते हैं।

प्रथम दृष्टिकोण के अंतर्गत महिला आंदोलन में पुरुषों का योगदान, कुछ महिलाओं का वैयक्तिक सहयोग, उपनिवेशवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की सक्रियता, गांधी और भारतीय महिलाएं, विभिन्न समाजों जैसे ब्रह्मसमाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाजों का योगदान, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में विदेशी महिलाओं के योगदान को सम्मिलित करते हैं। द्वितीय दृष्टिकोण के अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तेभागा, तेलंगाना, मूल्यवृद्धि के खिलाफ आंदोलन, बोधगया में आंदोलन, मुद्दा आधारित आंदोलन, चिपको आंदोलन, सती के खिलाफ बहस, महिला यौन-उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, दहेज प्रथा विरोधी आंदोलन, शाह बानो केस, महिला आरक्षण, नर्मदा बचाओ आंदोलन सम्मिलित किए गए हैं।

1980 के बाद महिला आंदोलनों का संस्थानीकरण किया गया जिसमें प्रमुख रूप से महिलाओं के स्वयंसेवी समूह, महिला विकास अध्ययन केन्द्र, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग, नारीवादी समूहों का उदय, दुष्कर्म के विरुद्ध फोरम से लेकर महिलाओं के दमन-विरोधी फोरम तक समाज कल्याण समूह; अन्नपूर्णा महिला मंडल में महिलाओं के प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व महिला आंदोलन

भारतीय महिलाएं सामाजिक प्रतिमानों एवं सांस्कृतिक आदर्शों की जटिल संरचना की उत्तराधिकारी रही हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत निम्न थी। परंपराओं और मान्यताओं के चलते महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था। महिलाएं कुरीतियों, मान्यताओं और अंधविश्वासों को झेलते रहने के लिए विवश थी।

प्राचीन भारत में महिलाओं का जीवन हमारे भारतीय समाज की पुरानी मान्यताओं और कुरीतियों से ओत-प्रोत था। जिसमें महिलाएं उन सभी पुरानी मान्यताओं को मानने के लिए बाध्य थी, जो परंपराएं सदियों से चली आ रही थीं। इन मान्यताओं में प्रमुख थीं बाल-विवाह, जौहर, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा, पति की मृत्यु के बाद सिर मुंडवाना (मुंडन), साध्वी वाला जीवन व्यतीत करना, कष्ट सहना इत्यादि। सती प्रथा के अनुसार पति की चिता के साथ ही विधवा स्त्री को जला दिया जाता था। प्राचीन भारत की कुरीतियों से महिलाओं को बचाने के लिए कई पुरुष समाज सुधारक सामने आए और उन्होंने महिलाओं के जीवन के उद्धार, उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए।

भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने सबसे पहले समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे-बाल विवाह, बहु विवाह, धार्मिक कर्मकांड, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने 1818 में सती प्रथा के विरोध में एक पुस्तक भी लिखी और उन्होंने स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार की वकालत भी की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप 1956 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ज्योति सावित्री भाई फूले ने सत्यसोधक मंडल की स्थापना की जिससे समाज में शूद्रों और उच्च वर्गीय महिलाओं के बीच मेल-मिलाप बढ़ाया जा सके। भारत के पुरुष समाज सुधारकों ने विभिन्न समाजों की नींव रखी। राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1872 में अनेक प्रयासों से नागरिक विवाह कानून पारित किया गया। जिसके अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह एवं तलाक को कानूनी अधिकार दिया गया। और आगे चलकर शादी की उम्र महिला के लिए 14 और पुरुष के लिए 18 वर्ष निश्चित की गई। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक कुरीतियों, जातिप्रथा, बालविवाह, बहु विवाह से समाज को मुक्त करना था। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना एम.जी.रानाडे ने की। इस समाज का उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा से जुड़ा था।

भारत की प्रबुद्ध बुद्धिजीवी, मेधावी महिलाओं ने बड़े-बड़े समाज सुधारकों और आम जनता के साथ मिलकर महिलाओं के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ शिक्षा, जीविकोपार्जन, नीति-निर्माण पर जोर दिया। इन महिलाओं के अतिरिक्त, विदेशी मूल की महिलाओं जैसे-एनी बेसेंट

और सिस्टर निवेदिता ने भी समाज की स्थिति सुधारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। सिस्टर निवेदिता ने रामकृष्ण मिशन में शारदा देवी, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के साथ मिलकर नवस्थापित रामकृष्ण मिशन में अपना योगदान दिया। एनी बेसेंट भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी में अपना योगदान दिया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले महिलाओं ने गांधी जी के साथ मिलकर सत्याग्रह में भाग लिया। महिलाओं ने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन सहित विभिन्न राष्ट्रवादी एवं उपनिवेशवाद-विरोधी आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्याग्रह के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, महिलाओं ने बड़े स्तर पर गांधी जी के आश्रमों में खादी बुनना, गरीबों की सेवा, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, खादी ग्रामोद्योग का प्रचार, स्वयं सेविका बनकर अपना योगदान दिया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं की सहभागिता

महिलाओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् तेभागा आंदोलन में सहयोगी रूप से भाग लिया। गांव के स्तर पर महिला आत्मरक्षा समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा महिलाओं के साथ हो रही हिंसा, मार-पीट का विरोध किया जा सके और पितृसत्ता समाज को चुनौती दी जा सके। इसके बाद एक और आंदोलन तेलंगाना आंदोलन में भी महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर सक्रिय रहीं। 1970 के मूल्य वृद्धि के खिलाफ आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व दोनों देखने को मिलते हैं। इन आंदोलनों में गृहिणी-महिलाएँ थाली-बेलन लेकर सड़कों पर उतरतीं। 1974 के नवनिर्माण आंदोलन में भी महिलाओं की भागीदारी को देखा जा सकता है। सन् 1970 के दशक में महिलाओं से संबंधित कई मुद्दे उठाए गए जैसे-घरेलू हिंसा, संपत्ति, प्रजनन अधिकार इत्यादि। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर उभरी। 1975 में स्त्री जागृति समिति, बंबई में अन्नपूर्णा महिला मण्डल, इत्यादि संस्थाओं का जन्म हुआ। इससे यह पता चलता है कि उस समय महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना आरंभ कर दिया था।

1980 एवं 1990 के दशक में देश के विभिन्न शहरों में दुष्कर्म के विरोध में आकरिम्क ही एक अभियान का उदय हुआ। जिसने महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। यह अभियान था-दुष्कर्म के विरुद्ध

फोरम से लेकर महिला दमन विरोधी फोरम तक। इस मंच के माध्यम से महिलाओं के विभिन्न मुद्दों को उठाया गया। जैसे कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न, दहेज संबंधी हिंसा एवं हत्या, घरेलू हिंसा, मीडिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, नागरिक एवं अपराध कानून के अंतर्गत महिलाओं के साथ पक्षपात, कामकाजी महिलाओं के अधिकार जिसमें महिलाओं का स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकार शामिल है तथा निर्धनता, वर्गीय एवं जातीय दमन के विरुद्ध सामाजिक आंदोलनों के कार्यों में मदद करना इत्यादि।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 से लेकर आज तक महिलाओं की स्थिति में एक नए स्तर पर परिवर्तन और बदलाव देखा जा सकता है। जिसमें महिलाओं ने खुद आगे बढ़कर अहम भूमिका निभाई है। 2 मार्च 2016 को हाल ही में एक नया मुद्दा सामने आया है जो कि एक मुस्लिम महिला द्वारा उठाया गया है। शाहबानो केस की तरह ही एक मुस्लिम महिला ने अपने अधिकारों का क्षेत्र बताने की अपील की है। उत्तराखंड की शायरा बानो की याचिका की वजह से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के नए नजरिये सामने आए हैं। जिसमें सर्वोच्च कोर्ट ने केन्द्र सरकार, महिला और बाल विकास मंत्रालय से इस बारे में जवाब भी मांगा है। शायरा ने कहा है कि तलाक-ए-बिद्दत अर्थात् तीन बार तलाक कहकर रिश्ता तोड़ देना, निकाह हलाला और बहु विवाह प्रथा इस्लाम की मूल भावना के खिलाफ हैं। इन परंपराओं को गैर-संवैधानिक बताते हुए शायरा ने धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म करने की अपील की है।

निष्कर्ष :

इस प्रकार हम भारत में महिलाओं के संदर्भों के मुद्दे, आंदोलन, उनके अधिकार अब नजरअंदाज नहीं कर सकते, आगे आने वाले समय में महिलाएं पूरे सम्मान, अधिकार और गरिमा की अधिकारी हैं। और वे समाज से अपना हक और अधिकार लेकर ही रहेंगी और समाज को प्रगतिशील पथ पर अग्रसर भी करेंगी।

महिलाओं ने देश के स्वतंत्रता समर की प्रत्येक रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्त्रियों के द्वारा अपने लिए मताधिकार की माँग को लेकर लड़ना हो या देश को स्वतंत्र कराने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात हो, स्त्रियों ने सभी क्षेत्रों में पूरी तत्परता के साथ काम किया। वैदिक काल के बाद भले ही नारी इस समय पुरुषों से अनेक

क्षेत्रों में पीछे थी लेकिन इन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया। असंख्य महिलाओं के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ही आजादी का यह महान आंदोलन सक्रिय बन पड़ा। स्त्रियों ने देश के प्रति प्रेम भावना का परिचय देते हुए व उसे स्वतंत्र कराने के लिए सभी तरीको से अपना योगदान दिया। शांति प्रिय आंदोलनों से लेकर क्रांतिकारी आन्दोलनों में स्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं ने राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में अपने आप को विविध आयामों के साथ प्रस्तुत किया।

संदर्भ सूची :

1. एल . पी . माथुर , भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानी , पृ . सं . 15
2. शालिनी सक्सेना - स्वाधीनता आंदोलन में मध्यप्रान्त की महिलाएं , पृ . सं . - 2
3. आशारानी व्होरा - महिलाएं और स्वराज्य , पृ . सं . - 146
4. प्रयागदत्त शुक्ल - क्रांति के चरण , पृ . सं . - 84
5. मोहम्मद शमीम - छत्तीसगढ में गांधीवादी आन्दोलन में छात्रों की भूमिका (अप्रकाशित शोध प्रबंध) , पृ सं . 19
6. विजय एग्रू - वीमने इन इण्डियन पालिटिक्स , पृ सं . - 8
7. राज लक्ष्मी गौड़ - नारी जागरण और गांधी जी (लेख) , मध्यप्रदेश संदेश , 1971
8. जीवंतराम भगवानदास - महात्मा गांधी जी जीवन और चिंतन , कृपलानी पृ . सं . 91
9. Helan Report : 2001
10. Ramabai Kumar : 1993
11. नवभारत टाइम्स, बुधवार, 2 मार्च 2016